(ii) Need for establishment of a steel plant at Hospet in Bellary, (Karnataka).

SHRI NARSING SURYAWANSHI (Bidar): Sir, a serious discontent has arisen in the minds or the people of Karnataka due to the inordinate delay in the establishment of an integrated steel plant at Hospet, Bellary district Despite the fact that the hon. Prime Minister has laid the foundation stone in the year 1971 for the establishment of the Vijayanagar Steel Plant, the Ministry of Steel and Mines has ignored the the justification the speedy implementation of the steel plant. The for Minister of Steel and Mines had subsequently assured the House the speedy implementation of the said project. But it is unfortunate that no specific steps have been taken so far to set up the plant.

Iron ore and other raw materials are abundant in Karnataka. Man power, water and other infra-structural facilities are readily available in and around Hospet. Thus, Hospet is an ideal place so far as the steel plant is concerned. If the steel plant is set up there, it will go a long way in solving unemployment problem in our State. Thousands of technically qualified graduates will be provided with jobs.

If the establishment of this steel plant is delayed, the people of Karnataka may be very much agitated. The Centre has sanctioned only five crores of rupees to Vijayanagar steel plant, while in contrast it has sanctioned Rs. 185 crores to the Vizag steel plant in Andhra Pradesh. Therefore, I urge on the Government that expeditious steps should be taken for the eslablishment of the steel plant at Hospet during the Sixth Plan period.

(iii) Need to supply adequate quota of foodgrains to hilly areas of Uttar Pradesh.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में खाद्यान्न का उत्पादन नाम मात्र को होता है। गत 4 वर्षों से लगातार कम वर्षा व कुरमुला नामक कीट के प्रकोप के कारण यहां नाम मात्र को भी फसल नहीं हो रही है। इस दौरान पिछले 4 माह से यहां के सस्ते गल्ले की दुकानों में बिलकुल भी गेहूं व चावल नहीं है। मैंने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की। उनका कथन है कि केन्द्र से गेहूं व चावल का बहुत कम आवंटन होने से यह स्थिति पैदा हुई है।

मेरा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त भुखमरी की स्थिति के तत्काल निराकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न का उपयुक्त कोटा आवंटित करें।

(iv) Modernisation of ESI hospital, Barbil Orissa.

SHRI HARIHAR SOREN* (Keonjhar) : Sir, serious discontentment has arisen in the minds of the workers, who depend on the ESI Hospital, Barbil, in Orissa, for their treatment. Barbil is situated in the remote corner of the State of Orissa. About 5,000 workers in that area have been covered under the ESI scheme. The sick members of their families go to Barbil ESI Hospital for their treatment. Air pollution has created great hazards that industrial area and the poor workers fall victim to many diseases. About 300 patients visit that hospital for treatment every day, But it is regrettable that they do not get proper treatment in the absence of adequate number of doctors, prescribed medicines, ambulance van and X-ray machines.

Most of the victims of different diseases are from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They work as daily labourers and are low-paid workers. Their financial status is not sound enough to undergo private treatment, as it involves lot of expenditure. The private hospitals are also conspicuously absent in that area.

Unless immediate steps are taken to appoint more doctors, nurses and other staff, the poor low-paid workers will continue to

*The Original speech was delivered in Oriya.

suffer. The absence of Ambulance Van and X-Ray machine causes a great risk to the lives of the patients. Therefore, I demand that the Ministry of Labour should take immediate steps to upgrade the ESI Hospital of Barbil with all facilities that are badly needed to save the poor workers from untimely death.

(v) Supply of paddy to rice mills in Tamil-Nadu

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Tamil Nadu is reeling under unprecedented drought and this has been confirmed by our hon. Prime Minister who recently visited some parts of Tamil Nadu and who announced on the spot Rs. 10 crores for drought relief works. The consequence of the failure of two monsoon rains last year has been steep decline in agricultural production. There is acute paddy scarcity throughout Tamil Nadu. There are nearly 10,000 rice mills in the State employing lakhs of workers. They are all facing closure, which would mean throwing out of employment all these workers. The impact of this can be best explained by the fact that about 20,000 workers in 200 Rice Mills in Coimbatore District are on the streets now, since there is no paddy available in Tamil Nadu.

The Godowns of Food Corporation of India are full of paddy. Being the national organisation, the Food Corporation of India should release immediately substantial quantities of paddy for these rice mills. The rice can be taken over by the Food Corporation of India. Through this method only lakhs of workers in these rice mills can be saved from starvation death. It is demanded that the Government of India should come to the rescue of these workers in the rice mills in Tamil Nadu.

(vi) Need for re-classification of different cities of the country.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सन् 1981 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण देश की जनसंख्या 68 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब तक तो वह 70 करोड़ हो चुकी होगी। जनगणना से यह भी स्पष्ट है कि देश के प्राय: सभी छोटे-बड़े नगरों एवं शहरों की आबादी पहले की तुलना में अधिक हो चुकी है।

जनसंख्या में वृद्धि के बाद यह आवश्यक हो गया है कि, सरकार शहरों एवं नगरों के पुनर्वर्गीकरण की घोषणा अविलम्ब कर दे। ऐसी घोषणा तो जनगणना का काम पूरा हो जाने के ठीक बाद ही हो जानी चाहिए थी। ऐसा करने से देश के 36 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हाऊस-रेंट अलाउंस, सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस आदि में वृद्धि का लाभ मिल जाता।

बिहार की राजधानी पटना नगर की जनसंख्या आठ लाख से अधिक हो चुकी है। अभी उसका दर्जा बी-2 का है जिसके अनुसार ही वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उक्त सुविधायें मिल रही हैं। परन्तु, अब वहां जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के बाद निश्चित रूप से पटना नगर का दर्जा बी-1 का हो गया है जिसकी घोषणा होते ही वहां बारह हजार से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस आदि के नाम पर अधिक राशि मिलना आरंभ हो जाएगा जिससे आज की मंहगाई में उन्हें कुछ राहत मिलने लगेगी।

अत: गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि, वह पटना नगर समेत देश के तमाम नगरों के पुनर्वर्गीकरण की घोषणा बिना किसी बिलम्ब के कर दें ताकि सरकारी कर्मचारियों का असंतोष दूर हो सके।

15 hrs.

(vii) Construction of an overbridge at Jaunpur Railway Station.

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : जौनपुर रेलवे जंक्शन पर तीन प्लेटफार्म हैं । प्लेटफार्म नम्बर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिये एक अंधेरी और सीलन और कीचड़ से भरी सुरंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें बदबू भी रहती है। इससे अच्छी और साफ सुथरी सुरंग बड़े स्टेशनों पर ठेले पर सामान ले जाने के लिये होती है। और जौनपुर में इन्सान इस सुरंग से ले जाये जाते हैं, जिसकी गन्दगी और बदबू से लोग सख्त तकलीफ से गुजरते हैं। लोगों का सामान लूट लिया जाता है। औरतों को छेड़ने के अफसोसनाक वाकयात होते रहते हैं।

इससे पहले रेलवे जंक्शन पर ओवरहैड ब्रिज बनाने की मांग कर चुका हूं जिसका तहरीरी जवाब डिप्टी रेलवे मिनिस्टर की तरफ से यह मिला था कि अंधेरा दूर करने के लिये सर्च लाइट लगाने और पानी के लिए वाटर पम्प लगाने का हुक्म दे दिया गया है। अभी फण्ड नहीं हैं, फण्ड होने पर बनवा दिया जायगा।

मिस्टर स्पीकर सर, मैंने पानी टपकने और कीचड़ और सीलन की बात की थी जिसके लिये वाटर पम्प लगाने का हुक्म देने की बात कही गई है। अब आप खुद गौर कीजिये कि कीचड और सीलन दूर करने के लिये वाटर पम्प का हुक्म लापरवाही की अलामत नहीं तो और क्या है। मैंने इस सुरंग का मुआयना किया है, सिवाय दो, चार छोटे छोटे बल्ब्स के और कोई इन्तजाम नहीं है। जो अब्वल तो जलते नहीं हैं, और अगर जलते भी हैं तो सुरंग का अंधेरा दूर करना उनके बस की बात नहीं है।

मैं जौनपुर जंक्शन से सफर करने वालों की सख्त तकलीफ और परेशानियों की बिना पर दोबारा सरकार से मांग करता हूं कि ओवर हैड ब्रिज बना कर जौनपुर जंक्शन के तमाम प्लेटफार्मों को एक दूसरे से इस ब्रिज के जरिये मिला कर सफर करने वाले तमाम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलायें।

(vii) Construction of an over bridge Jannpur Railway Station.

ڈاکٹر اے۔ یو۔ اعظمی (جونپور) : جونپور ریلوے جنکشن پر تین پلیٹ فارم ہیں۔ پلیٹ فارم نمبر ۱ سے دو اور تین پر جانے کے لئے ایک اندھیری اور سیلن و کیچڑ سے بھری سرنگ سے گذرنا پڑتا ہے۔ جس میں بدبو بھی رہتی ہے۔ اس سے اچھی اور صاف ستھری سرنگ بڑے اسٹیشنوں پر ٹھیلے پر سامان لے جانے کے لئے ہوتی ہے اور جونپور میں انسان اس سرنگ سے لے جائے جاتے ہیں جس کی گندگی اور بدبو سے لوگ سخت تکلیف سے گذرتے ہیں۔ لوگوں کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے۔ عورتوں کے چھیڑنے کے افسوسناک واقعات ہوتے رہتے ہیں۔

اس سے پہلے ریلوے جنکشن پر اوور ہیڈ برج بنانے کی مانگ کر چکا ہوں جس کا تحریری جواب ڈپٹی ریلوے منسٹر کی طرف سے یہ ملا تھا کہ اندھیرا دور کرنے کے لئے سرچ لائٹ لگانے اور پانی کے لئے واٹر پمپ لگانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ابھی فنڈ نہیں ہے۔ فنڈ ہونے پر بنوا دیا جائے گا۔

مسٹر اسپیکر سر۔ میں نے پانی ٹپکنے اور کیچڑ و سیلن کی بات کی تھی۔ جس کے لئے واٹر پمپ لگانے کا حکم دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ کیچڑ و سیلن دور کرنے کے لئے واٹر پمپ کا حکم لاپرواہی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے اس سرنگ کا معائنہ کیا ہے۔ سوائے دو چار چھوٹے چھوٹے بلبوں کے اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو اوّل تو جلتے نہیں ہیں اور اگر جلتے بھی ہیں تو سرنگ کا اندھیرا دور کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔

میں جونپور جنکشن سے سفر کرنے والوں کی سخت تکلیف اور پریشانیوں کی بنیاد پر دوبارہ سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اوور ہیڈ برج بنا کر جونپور جنکشن کے تمام پلیٹ فارموں کو ایک دوسرے سے اس برج کے ذریعے ملا کر سفر کرنے والے تمام لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔

(viii) Financial Assistance For Setting up a paper Mill in Tripura

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West): Under Rule 377, I make the following statement :

The forests of Tripura are very rich in Bamboo and Hard wood. In view of this, the Government of Tripura decided to explore the feasibility of setting up a Paper Mill in Tripura. A project report was prepared which established viability of the Paper Mill. The estimated cost of the setting up of the Paper Mill is Rs. 97 crores and it has employment potential for about 20,000 persons directly and indirecly. Requirement of raw materials of 300 tonnes per day is estimated to be 2,38,000 tonnes of bamboos per year. According to the pre-investment survey 5 lakh tonnes of bamboo per year can be extracted from the natural bamboo forests; availability of sufficient water from the river Manu, easier transport of raw materials by river, the site of the mill was selected at Fatikray which will be well connected by railway line in near future. The letter of intent for setting up a Mill for manufacturing of bleached pulp, printing and writing papers with an annual capacity of 82,500 tonnes was issued by the Government of India on 23.4. 1985. The expenditure incurred on the project so far is about 16 lakhs for consultants fees etc. The need of a Paper Mill Project in Tripura being a backward and under-developed State requires no explanation. I shall request the Central Government to provide fund for setting up of a Paper Mill in Tripura without further delay.

DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84

Ministry of Home Affairs-Contd.

MR. CHAIRMAN : The House will now resume further discussion on Hudget demands for the Ministry of Home Affairs. Shri R.P. Yadav may continue.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Yadav has to continue his speech.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति जी, मैंने अपना नाम दिया था, 7 तारीख को, मुझे बोलने को नहीं मिला।

SHRI R. P. YADAV (Madhepura) : I was on my legs. How can you object that ?

श्री भीखा भाई : मुझे दो साल से कोई मौका नहीं मिला। मैं बीमार रहा।

सभापति महोदय : आपका नाम नहीं लिया गया, आपको गलती लगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि जून, 1980 में इंदिरा कांग्रेस ने एक व्यक्ति के हाथ को मजबूत करने का आह्वान किया था ताकि देश को सशक्त शासन दिया जा सके और देश की जनता चैन की नींद सो सके तथा देश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सके परन्तु हालत ठीक उसके विपरीत हुई है। अपराध और भ्रष्टाचार हर पल, हर दिन, हर महीने और हर साल बढ़ते ही गए हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर इसको सिद्ध करना चाहता हूं। 1980 के फर्स्ट क्वार्टर में थर्ड 5110 मर्डर हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 5508, हुए, क्वार्टर में 5869 हुए और फोर्थ क्वार्टर में 5792 हो गए।

इसी प्रकार से मैं रेप से सम्बन्धित आंकड़े भी देना चाहता हूं। इस सरकार के समय में रेप एक आम बात हो गई है। 1980 के ही फर्स्ट क्वार्टर में रेप 753 हुए, सेकेंन्ड क्वार्टर में 917 हुए और थर्ड क्वार्टर में 1393 रेप हुए।

जहां तक रायट्स और दंगों का सम्बन्ध है, उसी वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख 11 हजार हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 2 लाख 25 हजार 11 हुए और थर्ड क्वार्टर में 2 लाख 72 हजार 54 दंगे हुए। इसी तरह से प्रोहिबिशन की तहत

फर्स्ट क्वार्टर में 27,482 केसेज हुए, सेकेन्ड क्वार्टर में 98,408 केसेज हुए और थर्ड क्वार्टर में 1,32,049 केसेज हुए। यह आंकड़े स्वयं बोलते हैं कि हर पल, हर दिन, हर महीने और हर साल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही मैं यह बात कह रहा हूं, यदि मन्त्री जी चाहें तो कन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं।

अब मैं अपने प्रदेश, बिहार के सम्बन्ध में कुछ बतलाना चाहूंगा। आज बिहार की स्थिति बदतर है। वहां पर जान व माल की कोई सुरक्षा नहीं है। ला ऐंड आर्डर वास्तव में वहां पर फेल हो गया है। जरूरत तो यह है कि भारत सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। आज वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनकी हालत यह है कि गोपालगंज के डी एम को बम से उड़ा दिया गया लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार कहती है कि बिहार की ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

इसके बाद मैं कुछ अपने जिले के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। इस बारे में मैंने एकाध बार गृह मन्त्री जी से जिक्र भी किया है कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो भगवान ही जनता की रक्षा कर सकते हैं। वहां पर मन्त्रिगण क्रिमिनल्स को पालते हैं और उन्हीं के बल पर जीतते हैं। मैं दो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर विभिन्न जिलों में है। सहरसा जिला जहां से मैं आता हूं, वहां पर एक सरकारी कालेज हैं जिसके हास्टेल पर क्रिमिनल्स का आधिपत्य है। प्रशासन तन्त्र का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट भी मुझ से कह रहे थे कि वे वहां पर नहीं जा सकते हैं और अगर वे किसी लड़के को एलाट भी करते हैं तो उसको क्रिमिनल्स बाहर फेंक देते हैं। सहरसा कमिश्नरी का हैडक्वार्टर भी है। एक सियाराम यादव को वहां पर खदेड़ कर गोली मारी गई लेकिन हत्यारों को आज भी मन्त्री जी का संरक्षण मिल रहा है। प्रशासन का मुख्य भाग दारोगा होता है, जो कि ला एन्ड आर्डर को एन्फोर्स करता है, उसको उसी शहर में दिन में छुरा मारा गया लेकिन आज तक क्रिमिनल्स का कुछ नहीं हुआ। सहरसा से पांच किलोमीटर पर एक जगह मरना है जहां पर 11 मुसलमान बच्चों तथा औरतों को कत्ल कर दिया गया। जिसके द्वारा कत्ल किया गया, वह वहां के एक वरिष्ठ मन्त्री के इलैक्शन एजेंट हुआ करते हैं, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं हुआ है। यह बिहार की हालत है। संसार के इतिहास में यह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि जब दो देश आपस में लड़ते भी हैं, तो भी रेडक्रास की गाड़ी पर कोई गोली नहीं चलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाब यादव नाम का व्यक्ति जिसको अस्पताल में भरती किया गया, क्रिमिनल्स द्वारा दिन-दहाड़े सिर काट कर ले जाया गया। एफ० आई० आर० में नाम है; लेकिन आज तक वे बाहर घूम रहे हैं। इस बारे में मैंने गृह मन्त्री जी को कहा था, उन्होंने कहा कि इसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से वह प्रदेश चलेगा। पुलिस के लिए जान बहुत सस्ती है। मुरलीगंज हमारे क्षेत्र में पड़ता है! वहां पुलिस द्वारा गोली चलाई गई उसमें तीन लड़के मारे गए। मैं आप से कहना चाहता हूं कि पुलिस की गोली से मरने वाले को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि ऐक्सीडेंट में प्रावधान है।

अब मैं आता हूं, इस देश की राजधानी दिल्ली पर। वास्तव में यदि इसको अपराध की राजधानी कहा जाए, तो वह सही बात होगी श्री रामविलास पासवान के 30.3.83 के प्रश्न के जवाब में मन्त्री जी ने कहा है कि हत्याओं के मामलों की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त दिल्ली

में कुल मिलाकर अपराध कम हुए हैं । मैं इसको गलत साबित करना चाहता हूं, आपके ही आंकड़ों के आधार पर । ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं । दिल्ली में 1981 में 21 डकैतियां हुई और 1982 में 22 डकैतियां हुई हैं । मर्डर्स में आपने स्वयं माना है कि काफी बढ़ोतरी हुई है । 1981 में 199 और 1982 में 236 ऐसे मामले हुए हैं । मिसलेनियस क्राइम्स 1981 में 9,113 और 1982 में 9,400 केवल यह कह देना कि सब में कटौती हुई है, उचित नहीं है । सवाल यह पैदा होता है कि दिल्ली की पुलिस क्या दिल्ली वालों की जान-माल की रक्षा करने में सक्षम हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस अक्षम रही है । 1982 का वर्ष सबसे ज्यादा खराब रहा है । इस वर्ष में डाउरी डैथ्स ज्यादा हुई है, अन्तरराष्ट्रीय संवाद एजेंसी के संवाददाता की हत्या हुई; कुवैत के दूतावास के सेक्रेटरी की हत्या हुई, सफदरजंग के एक व्यापारी की पार्सल बम्ब से हत्या हुई—लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है । पैट्रोलपम्प की लूट, डाकखानों और बैंकों में डकैतियों की सबसे ज्यादा बढोतरी हुई है । औरतें दिल्ली में स्वतन्त्र रूप से नहीं घूम सकती है । दिन-दहाड़े औरतों के गले से चैनें छीन ली जाती हैं । क्रिमिनल्स गाड़ियों में घूमते हैं । कोई पता नहीं चल सका है । पुलिस की गलती के चलते अकालियों द्वारा संसद पर हमला हुआ । पुलिस की गोली से चार अकाली मारे गए । लेकिन आज्ञा किसने दी, यह आज तक नहीं पता चला है । 1982 में हर तीस मिनट में एक चोरी हुई है । दर्जनों बम्ब फूट चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल सका है, न इसको रोका जा सका है । आदमी का पुलिस पर से विश्वास हटता जा रहा है । पुलिस कहती है कि 50 प्रतिशत डकैतियां अनरिजाल्ब्ड है और 22 प्रतिशत ब्लान्ड मर्डर हैं । इन्हीं की पुलिस कहती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं । मैं पूछता हूं इन बढ़ते हुए अपराधों का कारण क्या है ? मुख्य कारण यही है कि पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है । पिछले दिनों मन्त्री जी ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है । क्या वह बतलायेंगे अभी पहाड़-गंज में आगजनी के मामले में पुलिस आयुक्त की जो सार्वजनिक बेइज्जती हुई, यह हस्तक्षेप नहीं था तो क्या था ? एक पुलिस के डी० आई० जी० जो बिहार के थे, राजनीतिक कारणों से उनका तबादला किया गया । पुलिस आयुक्त भिण्डर साहब का यहां से तबादला किया गया, इसलिए कि वह इनके गलत आर्डर्ज को मानने के लिए तैयार नहीं थे । इन बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पुलिस प्रशासन में काफी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण क्राइम्ज बढ़ते जा रहे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम को फिर से रिव्यू किया जाय । वास्तव में वह सक्सैसफुल हो रहा है या नहीं, यदि नहीं हो रहा है तो दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यहां के लोग यह समझ सके कि उनका जानोमाल सुरक्षित है ।

समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं । साम्प्रदायिक दंगों को लीजिये । 1978 से लेकर आज तक साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे हैं । इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में 230 साम्प्रदायिक दंगे हुए, 1979 में 304, 1980 में 427, 1981 में 319, 1982 में 474 दंगे हुए । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह से साम्प्रदायिक घटनायें हो रही हैं उनके बारे में सरकार क्या करना चाहती है ? एक नई बात जो इस समय सामने आ रही है, वह यह है कि इस से पहले जो साम्प्रदायिक दंगे होते थे, उन में ऐसे तत्व होते थे जो उनको कराते थे, लेकिन अब मुरादाबाद को, मेरठ को लें, पुलिस और माइनारिटीज वालों से झगड़ा होता है जिसमें पुलिस गोली चलाती है । मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनसू-

चित जनजातियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, है, औरतों पर अत्याचार बढ़ रहा है। यवतमाल के बारे में अभी मार्च 30 के अखबार में आया है—वहां 14 हरिजन लड़कियों के साथ रेप किया गया, जिनके बारे में सरकार खामोश है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इन चीजों के खिलाफ कार्यवाही करे।

समय कम है, अब मैं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। यह सरकार पिछड़ा-वर्ग विरोधी सरकार है, इस मायने कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को आये दो साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक सरकार की मन्शा स्पष्ट नहीं हुई है, सरकार में न इतनी हिम्मत है कि इस को लागू करे या यह कहे कि हम लागू नहीं करेंगे। 14 महीने तक बड़ी जद्दोजहद के बाद सदन में उस रिपोर्ट को रखा गया और कहा गया कि मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुला रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ। यह सदन जानना चाहता है कि किन मुख्य मन्त्रियों ने इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या स्टैण्ड लिया। यह कहा जाता है कि बाक-एन-लार्ज मुख्य मन्त्रियों ने विरोध किया है। उनसे पूछते है तो वे कहते हैं कि हम ने तो पक्ष में वोट किया है। हमें तो यह मालूम हुआ है कि मुख्य मन्त्रियों ने कहा है कि यह हमारा बेबी नहीं है, आप का बेबी है, इस को सम्भालो। हम तो बाइ-एन-लार्ज अपने यहाँ रिजर्वेशन लागू कर चुके हैं, अब तो केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में यह रिजर्वेशन लागू होना चाहिये। अब यह आप के करने की जरूरत है। मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह से न तो इस सरकार में हिम्मत है और न यह करना चाहती है।

यह कमीशन देश के विभिन्न भागों में घूमा है, इस ने देश की विभिन्न सरकारों के विचारों को लेकर, संस्थाओं के विचारों को लेकर, व्यक्तियों के विचारों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है कि जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि देश में 52 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं। साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं और 11 प्रतिशत मुसलमान हैं इस तरह से यदि साढ़े-पिच्यासी प्रतिशत लोगों के अधिकारों को नजर अन्दाज किया जाय तो मैं यह मांग करता हूं, बल्कि चेतावनी देना चाहता हूं, यदि समय रहते आप नहीं समझेंगे तो जिह तरह से यह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका गुस्सा न यह सरकार बरदाश्त कर सकेगी और न इनकी पार्टी बरदाश्त कर सकेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं, वे अलगाव की बात नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वे उनको दो। लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि इस सरकार के प्रशासन में वे वास्तव में सहभागी अवश्य हों, जिनके लिए कि इस देश में यह जनतन्त्र है। साढ़े-बाइस प्रतिशत जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को दे रहे हैं, वे इसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, 5 परसेन्ट ही पूरा कर पाये हैं। तो फिर जो लोग 52 परसेंट हैं उनको आप क्यों रिजर्वेशन देना चाहते हैं? यह दलील दी जाती है कि इस से एफीशियेंसी घट जाएगी। आपका ही मानना है कि तमिलनाडु में जहां पर कि रिजर्वेशन लागू है वह बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है। इस पर भी यह कहना कि एफीशियेंसी घट जाएगी, यह गलत होगा। रिजर्वेशन करने से एफीशियेंसी नहीं घटेगी। ऐसा तर्क देने से तो आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप हरिजनों को रिजर्वेशन न दें, महिलाओं को न दें। लेकिन आप मण्डल कमीशन ने जो बात कही है उसको भी मानें। मण्डल कमीशन ने सारी बातों को, ला कोर्ट्स के डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए कम से कम आरक्षण करने की सिफारिश की है। इसलिए आप कम से कम उसकी सिफारिश को तो तुरन्त मानें। बैकवर्ड क्लासिज के लिए तो वास्तव में